आकाशवाणी शिमला

19.03.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

जयराम

प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस सरकार द्वारा महिलाओं को हर महीने दिए जाने वाले 15 सौ रुपए की गारंटी को पूरा करने के लिए भरवाए जा रहे फॉर्म को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। भाजपा ने आज इस संबंध में शिमला में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग को ज्ञापन देकर शिकायत दर्ज करवाई है। विपक्ष ने राम मंदिर के होर्डिंग हटाने के भी सरकार पर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकारवार्ता को सम्बोधित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जहां महिलाओं को ठगने का काम किया, वही अब दोबारा लोकसभा चुनाव से पहले भी यही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले डेढ़ साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को 15 सौ रुपए नहीं दिए और न ही बजट में इसका कोई प्रावधान किया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 15 सौ रूपए देने के लिए महिलाओं से भरवाए जा रहे फॉर्म पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मुख्यमंत्री के फोटो लगे हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी लोकप्रियता व विश्वासमत खो चुकी है ऐसे में अब आनन–फानन में बेतुके फैसले ले रही है।

मनीष गर्ग

इस बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि महिलाओं को 15 सौ रुपए के फॉर्म और होर्डिंग्स को लेकर भाजपा की तरफ से शिकायत आई है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता लगने के 24 घंटों में 38 हजार पोस्टर्स व बैनर्स को हटाया गया है और ये पूरी प्रक्रिया 72 घंटों की होती है जिसमें सभी पोस्टर, बैनर और फ्लैग्स को हटा लिया जाएगा।

चुनाव कार्यशाला

लाहौल स्पिति जिला मुख्यालय केलंग में आज जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनाव पर पाठशाला विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान जिला निरीक्षक अनिल कुमार ने पुलिस कर्मियों को चुनाव से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान अपने कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित विषयों के बारे में जागरूक करना रहा।

डीसी किन्नौर

किन्नौर के उपायुक्त व जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने आज रिकांगपिओ में लोकसभा चुनाव के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ एक बैठक की। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव के दौरान खर्च के निर्धारित रेट से अवगत करवाया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग का उद्देश्य लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों को समानता के अवसर उपलब्ध करवाना है ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी ढंग से सम्पन्न हो सके।

मण्डी मतदाता

मण्डी संसदीय क्षेत्र में कुल 13 लाख 59 हजार 4 सौ 97 मतदाता हैं जिनमें 6 लाख 90 हजार 5 सौ 34 पुरूष और 6 लाख 68 हजार 9 सौ 63 महिला मतदाता हैं। संसदीय क्षेत्र में 15 हजार 3 सौ 47 दिव्यांग मतदाता हैं जबकि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं की संख्या 13 हजार 2 सौ 9 है। लोकसभा चुनाव के लिए मण्डी संसदीय क्षेत्र में 2 हजार 2 सौ 13 मतदान केन्द्र स्थापित किए जाएंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में एक सौ 20 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2 हजार 93 मतदान केन्द्र होंगे। मण्डी संसदीय क्षेत्र में लाहौल स्पिति जिले का टशीगंग मतदान केन्द्र सबसे अधिक 15 हजार 2 सौ 56 फुट की उंचाई पर स्थापित होगा जहां पर कुल 52 मतदाता हैं। मण्डी संसदीय क्षेत्र में प्रदेश के 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं जिनमें भरमौर, लाहौल स्पिति, मनाली, कुल्लू, बंजार, आनी, करसोग, सुंदरनगर, नाचन, सराज, द्रंग, जोगिन्दर नगर, मण्डी, बल्ह, सरकाघाट, रामपुर और किन्नौर शामिल हैं।

सड़क मार्ग

लाहौल स्पीति जिले में पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद अब मौसम खुलने से जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। सीमा सड़क संगठन ने घाटी के भीतर बर्फ हटा कर मुख्य सड़कों को बहाल कर दिया है ऐसे में लोग अब बस सेवा शुरू करने की मांग कर रहे हैं। बर्फबारी के कारण 18 फरवरी से लाहौल के भीतर और मनाली–केलंग के बीच बस सेवा बंद है जिससे घाटी के लोगो को टैक्सी सेवा नही मिलने और महंगी दरों पर सफ़र करने को विवश है। लोगों ने घाटी की अंदरूनी सड़को व मनाली केलंग बस सेवा को जल्द आरम्भ करने की प्रशासन से मांग की है ताकि लोगो को सुविधा मिल सके।

डीसी कुल्लू

कुल्लू की उपायुक्त तोरूल एस. रविश ने कहा है कि जिले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हाथ से मैला ढोने वाले स्वच्छकारों का एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है। कुल्लू में आज मैनुअल स्केवेंजर अधिनियम के तहत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अस्वच्छ शौचालय का इस्तेमाल और हाथ से मैला ढोने की प्रथा प्रतिबंधित है। उपायुक्त ने सभी ग्रामीण व शहरी निकायों को नए सर्वेक्षण के आंकड़ों की रिपोर्ट समयबद्ध भेजने के निर्देश दिए। ये सर्वेक्षण 15 मार्च से 14 अप्रैल तक चलाया जा रहा है।